| तारीख हुक्म | **हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज**<br><br>**निगरानी/टिए/4883/2005/जयपुर**<br>**श्रीमती बिरजी बनाम भूरया** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **07-09-2018** | **एकल पीठ**<br>**श्री महावीर सिंह, सदस्य**<br><br>**उपस्थिति–**<br>श्री नरेश कुमार जैन, अधिवक्ता प्रार्थी<br>अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं<br><br>**निर्णय**<br><br>हस्तगत निगरानी धारा 230 सहपठित धारा 221, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी,आमेर मुख्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 19-9-2005 को प्रकरण उनवानी श्रीमती बिरजी बनाम भूरया व अन्य में पारित निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।<br><br>प्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस निगरानी पर सुनी गई।<br><br>योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि ग्राम मनोहरपुर, तहसील आमेर स्थित भूमि खाता संख्या 105 में हिस्सा 1/2 व खाता संख्या 106 में हिस्सा 1/3 की वादिया-प्रार्थीया सह खातेदार है और वादिया द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, आमेर के न्यायालय में वाद संख्या 201/2002 अनुवानी श्रीमती बिरजी बनाम भूरया व अन्य अन्तर्गत धारा 53 व 188, आर0टी0ए0, 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया था। प्रश्नगत आराजी में 1/2 हिस्सा वादिया के पति सेडू का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता सुणा का रहा है। वादिया सेडू की बेवा है और सेडू के फौत होने के उपरान्त भूमि में वादिया के पक्ष में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया। भूरा पुत्र सूणा द्वारा वादिया के नाम को हटवाने व स्वयं का नाम दर्ज कराने हेतु ए0एस0ओ0 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 20-9-1986 को उनके द्वारा स्वीकार किया गया। वादिया द्वारा इसके विरुद्ध भू अभिलेख अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे मियाद बाहर मानते हुये खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर भू प्रबन्ध आयुक्त द्वारा वादिया की अपील को स्वीकार कर प्रकरण को सहायक भू अभिलेख अधिकारी को | |

| तारीख हुक्म | **हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज**<br><br>**<u>निगरानी/टिए/4883/2005/जयपुर</u>**<br>**<u>श्रीमती बिरजी बनाम भूरया</u>** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रेषित किया, जिसे सहायक भू अभिलेख अधिकारी ने दिनांक 11–6–1991 को अस्वीकार कर दिया। भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष इसकी अपील की गई जो दिनांक 20–12–1994 को खारिज हो गई, जिसके विरुद्ध भूरा द्वारा भू प्रबन्ध आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो भी दिनांक 13–6–2006 को खारिज की जा चुकी है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि भू प्रबन्ध आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील नामांतरकरण के सम्बन्ध में है जो कि "समरी प्रौसीडिंग" में आती है और मात्र एक वित्तीय कार्यवाही है, इस नामांतरकरण की कार्यवाही में दिए गए किसी भी आदेश/निर्णय का प्रभाव वादपत्र की नियमित कार्यवाही पर नहीं पड सकता है। नामांतरकरण की अपील के विचाराधीन होने के आधार पर वादपत्र की कार्यवाही को लंबित/स्थगित नहीं रखा जा सकता है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों व प्रक्रिया के विपरीत जाते हुये निर्णय दिनांक 19–09–2005 पारित किया है। अतः निगरानीधीन निर्णय में तात्विक अनियमितता व क्षेत्राधिकार का सदुपयोग नहीं किए जाने से इस निर्णय को निरस्त किया जाये और निगरानी को स्वीकार कर वादपत्र में सुनवाई कराये जाने के आदेश दिए जावें।<br>अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।<br><br>प्रकरण के परीक्षण पर सुस्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत नामांतरकरण बाबत् कार्यवाही सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, भू प्रबन्ध अधिकारी एवं भू प्रबन्ध आयुक्त के न्यायालयों में चली है। वादिया/प्रार्थीया द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के तहत विभाजन व स्थाई व्यादेश का वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19–09–2005 इस आशय का पारित किया है कि "सैटलमैण्ट कमिश्नर न्यायालय में विचाराधीन मामले में अंतिम निस्तारण होने तक इस पत्रावली पर सुनवाई स्थगित की जाती है।" इस सम्बन्ध में हमारा स्पष्ट मत है कि नामांतरकरण की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है जब कि नियमित वाद पत्र का क्षेत्र विस्तृत होता है। विधिक प्रावधानों के अनुसार नामांतरकरण की कार्यवाही लंबित होने के आधार पर वादपत्र की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता है और नामांतरकरण की कार्यवाही में सैटलमैण्ट कमिश्नर | |

| तारीख हुक्म | **हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज**<br><br>**निगरानी/टिए/4883/2005/जयपुर**<br>**श्रीमती बिरजी बनाम भूरया** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय से वादपत्र का निर्णय किसी प्रकार से प्रभावित भी नहीं होता है। अतः सैटलमैण्ट कमिश्नर न्यायालय में विचाराधीन मामले में अंतिम निस्तारण होने तक वादपत्र की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का, परीक्षण न्यायलाय का निर्णय दिनांक 19–9–2005 पूर्ण रुप से अविधिक है। हमारे मतानुसार परीक्षण न्यायालय को वादपत्र में गुणावगुण पर परीक्षण करना चाहिए था। यहॉ ये भी उल्लेख किया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है कि भू प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के द्वारा अपील संख्या 13/1995 भूरा बनाम श्रीमती बरजी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13–06–2006 के द्वारा अपील को अंतिम रुप से निस्तारित भी किया जा चुका है।<br><br>अतः प्रकरण में निहित तथ्यों, विधिक प्रावधानों के अनुसरण में यह निगरानी सारवान पाये जाने से **स्वीकार** की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, आमेर (मुख्यालय), जयपुर द्वारा दिनांक 19–9–2005 को प्रकरण संख्या 201/2002 उनवानी श्रीमती बिरजी बनाम भूरया व अन्य में पारित निर्णय को निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वादीया–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए उक्त विचाराधीन वादपत्र में विधिक प्रकिया व प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुये गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(महावीर सिंह)**<br>**सदस्य** | |